पंजीकृत

प्रेषक

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

सेवा में,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद

शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र

प्रीत विहार, नई दिल्ली–110092

पत्रांक: सी०बी०एस०ई०(फै०)/ 8712 /2016–17 दिनांक – 20 दिसम्बर, 2017

विषय:–कप्तान सिंह मेमोरियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट भगोला,कटेहरी अम्बेडकर नगर (उ०प्र०) को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कप्तान सिंह मेमोरियल एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट भगोला,कटेहरी, अम्बेडकर नगर (उ०प्र०) को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या–1916/15–7–09–01(299) /2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 14.12.2017 को आहूत की गई। उक्त बैठक में समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(क). विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख). विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग). विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ). [illegible] राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ङ). संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च). कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर [illegible] के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ). राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(ज). विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

PRINCIAPL
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar

सत्यजीत
MANAGER
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक के अन्तर्गत दिये परिशिष्ट –3 के क्रम 5, 6 जो निम्नवत् हैः–

विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथास्थिति काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन /सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन में वर्णित हो मुख्यतः कक्षा–12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व माध्यमिक कक्षा–11 –12 में पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होंगे जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा –9 –10 में पढ़ाने वाले अध्यापक संबंधित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व माध्यमिक कक्षा –6 से 8 तक अध्यापक स्नातक एवं प्रशिक्षित होने के साथ ही साथ C.TET अथवा U.P. TET जूनियर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। कक्षा –1 से 5 तक शिक्षण के लिए स्नातक, बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के साथ C.TET अथवा U.P. TET प्राथमिक स्तर या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिये सेवा शर्तें बनायी जायेंगी जिसमें परिवीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्तें समता, समानता, धर्म, जाति, भाषा लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।

विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होंगे जो राज्य सरकार के राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय–समय पर दिये जाते हैं किन्तु किसी कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा यदि इस संबंध में संस्था द्वारा कोई तथ्य गोपन किया हो अथवा किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त करने का अधिकार शासनादेश संख्या –1916/15–7–09–01(209) /2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति में सुरक्षित रहेगा।

भवदीय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

पृष्ठांकन संख्याः सी0बी0एस0ई0 (के0)/ 8712 /2016–17 दिनांक उपरवत्।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (मा0) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकर नगर ।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्धक, कप्तान सिंह मेमोरियल एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट भगोला, कटेहरी, अम्बेडकर नगर (उ0प्र0)।
7. गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

PRINCIAPL
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar

MANAGER
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar